उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986[1]

(1986 का अधिनियम संख्याक 68)

उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए और उस प्रयोजन हेतु उपभोक्ता परिषदों की तथा उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकारियों की स्थापना करने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

अध्याय - 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 है।

(2) इसक विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न राज्यों और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें[★★] नियत की जा सकेंगी।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिनियम सभी माल और सेवाओं को लागू होगा।

2. परिभाषाएं

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

[★](क) **'समुचित प्रयोगशाला'** से प्रयोगशाला या संगठन अभिप्रेत है,

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, या,

---

1. भारत के असाधारण राजपत्र, भाग - दो, खण्ड 1 में, 26 दिसम्बर 1986 को प्रकाशित

★ 1993 के अधिनियम संख्या 50 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

★★ इस अधिनियम के अध्याय 1, 2 और 4 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में दिनांक 15.4.1987 को प्रवृत्त हो गये हैं : देखिये भारत का राजपत्र, 1987, असाधारण, भाग II, खंड 3 (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. कानूनी आदेश 390 (अ), दिनांक 15.4.1987।
इस अधिनियम के अध्याय 3 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में दिनांक 1.7.1987 को प्रवृत्त हो गये हैं : देखिये भारत का राजपत्र, 1987, असाधारण, भाग II, खंड 3 (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. कानूनी आदेश 568 (अ), दिनांक 10.6.1987।

(2) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, केन्द्र सरकार द्वारा इस बावत् निर्धारित मार्गदर्शन के विषयाधीन रहते हुए या

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई प्रयोगशाला या संगठन जिसको केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा यह अवधारित करने की दृष्टि से, कि क्या किसी माल में कोई त्रुटि है, का विश्लेषण या परीक्षण कराने की दृष्टि से अनुरक्षण, वित्तीयपोषण या सहायता प्रदान की जाती है।

★(क क) **'शाखा कार्यालय'** से अभिप्रेत है -

(1) विपरीत पक्ष के द्वारा शाखा के रूप में वर्णित कोई संस्थान; या

(2) संस्थान के मुख्य कार्यालय द्वारा की जानेवाली कार्यवाही के समान या सारतः समान कार्यवाही करने वाला संस्थान;

★(ख) **'परिवादी'** से अभिप्रेत है, परिवाद करने वाला

(1) कोई उपभोक्ता या

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम या

(3) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार, या

★(4) एक या एक से अधिक उपभोक्तागण; जहाँ अधिसंख्य उपभोक्ताओं का एक-सा हित हो।

#(5) उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में, उसका विधिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि,

(ग) **'परिवाद'** से किसी परिवादी द्वारा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित कोई अनुतोष अभिप्राप्त करने की दृष्टि से लिखित में किया गया ऐसा कोई अभिकथन अभिप्रेत है कि -

(1) किसी व्यापारी द्वारा अनुचित व्यापार अथवा प्रतिबंधित व्यापार प्रथा को अपनाया गया हो;

★(2) ''उसके द्वारा क्रय किया माल अथवा क्रय करने के लिए सहमत माल'' में एक या अधिक त्रुटियां हैं,

★★(3) ''उसके भाड़े पर ली गई या उपयोग की गई अथवा भाड़े पर लिए जाने या उपभोग किए जाने के लिए करार की गई सेवाओं'' में किसी भी प्रकार की कोई कमी है ;

★ 1993 के अधिनियम संख्या 20 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 2 (क) द्वारा 15.3.2003 से अंतःस्थापित।

★★ 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 2 (ख) (II) द्वारा 15.3.2003 से अंतःस्थापित।

द्वारा इस बावत् निर्धारित

थापित कोई प्रयोगशाला या
द्वारा यह अवधारित करने
विश्लेषण या परीक्षण कराने
की जाती है।

ान; या
र्रवाही के समान या सारतः

प्रवृत्त किसी अन्य विधि के
ा

व्य उपभोक्ताओं का एक-सा

राधिकारी या प्रतिनिधि,
उसके अधीन उपबंधित कोई
ऐसा कोई अभिकथन अभिप्रेत

धेत व्यापार प्रथा को अपनाया

लिए सहमत माल'' में एक या

अथवा भाड़े पर लिए जाने या
में किसी भी प्रकार की कोई कमी

ः:स्थापित।
से अंतःस्थापित।

[1](4) व्यापारी या सेवा प्रदान करने वाले, यथास्थिति, ने परिवाद में वर्णित माल के लिए या सेवा के लिए :

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नियत,

(ख) ऐसे माल या ऐसे माल को अन्तर्विष्ट करने वाले पैकेज पर सम्प्रदर्शित मूल्य,

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उसके द्वारा प्रदर्शित मूल्य सूची पर सम्प्रदर्शित,

(घ) पक्षकारों के बीच करारित,

मूल्य से अधिक मूल्य लिया है,

[2](5) ऐसा माल, जो उपभोग किए जाने पर जीवन और सुरक्षा के लिए परिसंकटमय होगा,

(क) ऐसे माल की सुरक्षा से सम्बन्धित किसी मानक के, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनुपालन किए जाने की अपेक्षा की जाती है, के उल्लंघन में,

(ख) यदि व्यापारी सम्यक् तत्परता से जान सकता है कि इस प्रकार प्रस्तावित माल जनसाधारण के लिए असुरक्षित है,

जन साधारण को विक्रय के लिए प्रस्तावित किया जाता है,

(6) सेवा, जो कि उपयोग के समय जीवन व सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम पूर्ण है, को सेवा प्रदान करने वाले द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, जिसे ऐसा व्यक्ति सम्यक् तत्परता से जीवन और सुरक्षा के लिए हानिकर होना जान सकता है,'')

(घ) **'उपभोक्ता'** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो -

(1) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या अंशतः संदाय किया गया है, और अंशतः वचन दिया गया है, या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन किसी माल का क्रय करता है, और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न, जो ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या अंशतः संदाय किया गया है या अंशतः वचन दिया गया है या आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन माल का क्रय करता है ऐसे माल का कोई प्रयोगकर्ता भी है, जब ऐसा प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसे माल को पुनः विक्रय या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करता है; और

1. 1993 के अधिनियम संख्या 50 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
2. 1993 के अधिनियम संख्या 50 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

★(2) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागतः संदाय किया गया है और भागतः वचन दिया गया है, या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उपयोग करता है और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न जो ऐसे किसी प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया है या भागतः संदाय किया गया है या भागतः बचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उपयोग करता है ऐसी सेवाओं का कोई हिताधिकारी भी है जब ऐसी सेवाओं का उपयोग प्रथम वर्णित व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है।# किंतु उसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है, जो किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ऐसी सेवा प्राप्त करता है।

#स्पष्टीकरण – उपखंड (1) के "वाणिज्यिक उद्देश्य" के आशय के लिए स्वरोजगार साधन द्वारा उसके आजीविका उपार्जन के एकमात्र उद्देश्य के लिए उसके द्वारा क्रय किए गए और उपयोग किए गए माल और उसके द्वारा प्राप्त सेवा के व्यक्ति द्वारा प्रयोग शामिल नहीं है।

(ङ) **'उपभोक्ता विवाद'** से कोई ऐसा विवाद अभिप्रेत है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से इंकार करता है या उनका प्रतिवाद करता है,

(च) **'त्रुटि'** से ऐसी गुणता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता या मानक में जिसे अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा या किसी विधि द्वारा या उसके अधीन बनाए रखना अपेक्षित है या जिसका ऐसी किसी माल के संबंध में किसी भी प्रकार की रीति में व्यापारी द्वारा दावा किया जाता है, कोई दोष, अपूर्णता या कमी अभिप्रेत है :

(छ) **'कमी'** से ऐसे कार्य की गुणता, प्रकृति और रीति में जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन बनाए रखना अपेक्षित है या जिसका किसी सेवा के संबंध में किसी संविदा के अनुसरण में या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए जाने का वचनबंध किया गया है, कोई दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता अभिप्रेत है;

(ज) **'जिला पीठ'** से धारा 9 के खंड (क) के अधीन स्थापित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष पीठ अभिप्रेत है;

(झ) **'माल'** से माल विक्रय अधिनियम , 1930 (1930 का 3) में यथा परिभाषित माल अभिप्रेत है :

[1](ञ) **'विनिर्माता'** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो -

★ अधिनियम संख्या 50, 1993 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

\# 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 2 (ग) (रू) द्वारा 15.3.2003 से अंतःस्थापित।

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 2 (घ) द्वारा 15.3.2003 से अंतःस्थापित।

ाया है या वचन दिया गया है या
ा गया है, या किसी आस्थगित
ता है या उपयोग करता है और
किसी प्रतिफल के लिए जिसका
संदाय किया गया है या भागतः
। पद्धति के अधीन सेवाओं को
का कोई हिताधिकारी भी है जब
अनुमोदन से किया जाता है ।#
ो वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए

उद्देश्य'' के आशय के लिए
न के एकमात्र उद्देश्य के लिए
ल और उसके द्वारा प्राप्त सेवा

ब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध
से इंकार करता है या उनका

जिसे अभिव्यक्त या विवक्षित
ा अपेक्षित है या जिसका ऐसी
ारी द्वारा दावा किया जाता है,

त्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा
केसी सेवा के संबंध में किसी
ालन किए जाने का वचनबंध
भेप्रेत है;
उपभोक्ता बिवाद प्रतितोष पीठ

यथा परिभाषित माल अभिप्रेत

अंत:स्थापित।
स्थापित।

(1) किसी माल या उसके भाग को बनाता है या उसका विनिर्माण करता है; या

(2) किसी माल को नहीं बनाता है या उसका विनिर्माण नहीं करता है किन्तु अन्य व्यक्तियों द्वारा बनाए गए या विनिर्मित उसके भागों का समंजन करता है; या

(3) किसी अन्य विनिर्माता द्वारा बनाए गए या विनिर्मित किसी माल पर अपना स्वयं का चिन्ह लगाता है या लगवाता है।

(ट) **'राष्ट्रीय आयोग'** से धारा 9 के खंड (ग) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है;

★(ञञ) **'सदस्य'** में अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रीय आयोग या एक राज्य आयोग या एक जिला फोरम का, जैसी भी स्थिति हो, शामिल है :

(ठ) **'अधिसूचना'** से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है :

(ड) **'व्यक्ति'** के अंतर्गत है -

(1) कोई फर्म चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या न हो;

(2) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब;

(3) सहकारी सोसाइटी;

(4) व्यक्तियों का प्रत्येक अन्य संगम चाहे वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो;

(ढ) **'विहित'** से इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

[1](ढढ) **'विनियम'** से ऐसा विनियम अभिप्रेत है, जो राष्ट्रीय आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया हो;

(ढढढ) **'प्रतिबन्धित व्यापार प्रथा'** से अभिप्रेत है ऐसी कोई व्यापारिक प्रथा, जो कीमत के छल साधन या परिदान की उसकी शर्तों को उत्पन्न करने या माल अथवा सेवा के सम्बन्ध में बाजार में आपूर्ति के प्रवाह को ऐसे ढंग में प्रभावित करने के लिए प्रवृत्त है, जो उपभोक्ताओं पर अन्यायोचित खर्चे या प्रतिबन्ध अधिरोपित करे और इसमें शामिल होगा:

(क) ऐसे माल की आपूर्ति में या सेवा प्रदान करने में उस अवधि के बाद, जो व्यापारी द्वारा करारित हो, विलम्ब, जिसने कीमत में वृद्धि की हो या जो वृद्धि करने के लिए सम्भाव्य हो,

(ख) कोई व्यापार प्रथा, जो उपभोक्ता से अन्य माल या सेवा को क्रय करने, भाड़े पर

★ अधिनियम संख्या 50, 1993 की धारा 2 द्वारा दिनांक 18.6.1993 से अंत:स्थापित।

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 2 (च) द्वारा 15.3.2003 से अंत:स्थापित।

लेने या प्राप्त करने की पूर्ववर्ती शर्त के रूप में किसी माल या यथास्थिति, सेवा को क्रय करने, भाड़े पर लेने या प्राप्त करने की अपेक्षा करता है,)

(ण) **'सेवा'** से किसी भी प्रकार की कोई सेवा अभिप्रेत है जो उसके संभावित और इसके अंतर्गत बैंककारी, वित्तपोषण, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा के प्रदाय, बोर्ड या निवास अथवा दोनों, "[1]गृह निर्माण" मनोरंजन, आमोद प्रमोद या समाचार या अन्य जानकारी पहुंचाने के संबंध में सुविधाओं का प्रबंध भी है किन्तु इसके अंतर्गत निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा का किया जाना नहीं है।

[2](णण) **नकली माल और सेवा** से ऐसा माल और सेवा अभिप्रेत है, जिन्हें असली होने का दावा किया जाता है किंतु वे वास्तव में वैसे नहीं है।

(त) **'राज्य आयोग'** से धारा 9 के खण्ड (ख) के अधीन किसी राज्य के लिए स्थापित कोई उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है;

(थ) किसी माल के संबंध में **'व्यापारी'** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो विक्रयार्थ किसी माल का विक्रय या वितरण करता है और इसके अंतर्गत उसका विनिर्माता भी है और जहाँ ऐसे माल का विक्रय या वितरण पैकेज के रूप में किया ज़ाता है वहाँ इसके अंतर्गत इसका पैकर भी है;

★(द) **'अनुचित व्यापार प्रथा'** से अभिप्रेत है, किसी माल की बिक्री बढ़ाने, प्रयोग या आपूर्ति की वृद्धि के लिए अथवा सेवाओं को प्रदान करने के लिए निम्न को शामिल करते हुए अपनाया गया कोई अनुचित तरीका या अनुचित धोखाधड़ी, नामतः -

(1) मौखिक रूप से या लिखित रूप से या प्रकट वक्तव्य की प्रथा द्वारा जो -

(i) यह झूठा प्रतिनिधान करता है कि कोई माल विशिष्ट मानक, गुणवत्ता, परिमाण, श्रेणी या संरचना शैली, प्रतिमान का है,

(ii) ऐसा झूठा प्रतिनिधान करता है कि सेवाएँ विशिष्ट स्तर, गुणवत्ता या श्रेणी की हैं;

(iii) ऐसा झूठा प्रतिनिधान करता है कि पुनर्निमित, उपयोग की हुई, पुरानी, नवीकृत, पुन : अनुकूलित, वस्तु नई है;

(iv) यह प्रतिनिधान करता है कि वस्तु अथवा सेवाओं को किसी के द्वारा प्रयोजित, अनुमोदित, प्रदर्शित, आचरित निर्मित किया गया है या उसमें विशेषित उपकरण, उपयोग या लाभ के हैं जबकि वे वस्तु या सेवा ऐसी न हों;

---

1. 1993 की अधिनियम संख्या 62 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
2. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 2 (घ) द्वारा 15.3.2003 से अंतःस्थापित।

★ 1993 की अधिनियम संख्या 62 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(v) यह प्रतिनिधान करता है कि ऐसी वस्तु या सेवा को कोई प्रयोजन, अनुमोदन या सम्बद्धता प्राप्त है जबकि ऐसे विक्रेता या प्रदानकर्त्ता को वास्तव में वह प्राप्त न हो;

(vi) किसी वस्तु या सेवाओं के संबंध में उनकी आवश्यकता या उपयोगिता बाबत गलत या भ्रामक प्रतिनिधान करता है ;

(vii) उत्पाद या किसी वस्तु के निष्पादन, कार्यक्षमता तथा टिकाऊपन के संबंध में जनता को ऐसी वारंटी या गारंटी देना जो कि उसकी पर्याप्त या उचित जाँच पर आधारित नहीं है;

परंतु जहाँ इस आशय की प्रतिरक्षा ली जाती है कि ऐसी वारंटी या गारंटी उचित व पर्याप्त परीक्षण पर आधारित है तो ऐसी प्रतिरक्षा प्रमाणित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो कि ऐसी प्रतिरक्षा उठाता है;

(viii) जनसाधारण के समक्ष ऐसे प्रारूप में निरूपण प्रस्तुत करता है जिसका तात्पर्य -

(1) किसी उत्पाद या वस्तु या सेवा वारंटी या गारंटी, या

(2) वस्तु या उसके उपांग को बदलने, अनुरक्षण करने या मरम्मत करने या जब तक कि कोई विशेष परिमाण प्राप्त न हो सेवा की पुनरावृत्ति या जारी रखना,

यदि ऐसी वारंटी या गारंटी या वायदा सारवान रूप से भ्रमित करने वाला है या ऐसी वारंटी या गारंटी या वायदे के क्रियान्वयन के समुचित आधार नहीं हैं;

(ix) जनता को सारवान रूप से मूल्य के बारे में भ्रम पैदा करता है जिस पर उत्पाद या मिलता-जुलता उत्पाद या वस्तुएँ या सेवाएँ बेची गई हैं या आमतौर पर विक्रय की जाती हैं तथा इस उद्देश्य के लिए, मूल्य के संबंध में प्रतिनिधान उसको मूल्य संदर्भित करने वाला समझा जावेगा जिस पर उत्पाद या माल या सेवाओं को संगत बाजार में सामान्यतः विक्रेताओं द्वारा विक्रय किया गया है या प्रदायकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जब तक कि स्पष्ट रूप से यह विहित न हो कि किस मूल्य पर उस व्यक्ति द्वारा उत्पाद को विक्रय या सेवाओं को प्रदाय किया गया है, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से प्रतिनिधान पाया जाता है;

(x) दूसरे व्यक्ति को वस्तु या सेवा या व्यापार के संबंध में भ्रामक या मिथ्या तथ्य देता है।

स्पष्टीकरण – उपखण्ड (1) के आशय के लिए कोई कथन है -

(क) वस्तु या इसके रैपर या इसके अंतर्वेष्टिक पर विक्रय को प्रस्तावित या प्रदर्शित

करना अभिव्यक्त किया जाता है, या

(ख) विक्रय के लिए प्रदर्शित या प्रस्तावित वस्तु से लग्न, जोड़ी गई, या साथ की वस्तु पर अभिव्यक्त किया जाता है जिसमें वस्तु को प्रदर्शन या विक्रय के लिए मढ़ा गया है : या

(ग) जो कि ऐसी वस्तु में या पर अंतर्निहित है जो विक्रय की जाती है, भेजी जाती है, सुपुर्द की जाती है पारेषित की जाती है अथवा अन्य कोई तरीका जो जनसाधारण को उपलब्ध कराया जाता है, इसको उसी व्यक्ति द्वारा और मात्र उसी व्यक्ति द्वारा जिसने कि ऐसा कथन अभिव्यक्त किया है या अंतर्निहित किया है जनसाधारण को कथन करना माना जावेगा।

(2) समाचार पत्र या अन्य किसी रूप में उन वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या प्रदाय को रियायती मूल्य पर देने के लिए, किसी विज्ञापन के प्रकाशन की स्वीकृति देता है जो रियायती मूल्य पर विक्रय या प्रदाय करने के लिए अभिप्रेत नहीं है या उस अवधि के लिए या उस मात्रा में दिया जाना, उस बाजार जिसमें व्यवसाय किया जाता के स्वरूप व व्यवसाय के स्वरूप व आकार व विज्ञापन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अभिप्रत नहीं है।

स्पष्टीकरण - खण्ड (2) के आशय के लिए 'रियायती मूल्य' से आशय है -

(क) ऐसा मूल्य जो कि विज्ञापन में सामान्य मूल्य या अन्यथा के संदर्भ के द्वारा रियायती मूल्य होना कहा गया है, अथवा

(ख) ऐसा मूल्य जिस पर उत्पाद विज्ञापित किया जाता है, अथवा मिलता-जुलता उत्पाद सामान्यतः विक्रय किया है, जो ऐसा मूल्य है जो कोई व्यक्ति जो विज्ञापन पढ़ता, सुनता या देखता है युक्तियुक्त रूप से रियायती मूल्य समझेगा;

(3) अनुमति देता है - (क) जनसाधारण को भेंट, पुरस्कार या अन्य सामग्री देने का प्रस्ताव जबकि अभिप्राय ऐसे प्रदाय का नहीं है अथवा निःशुल्क प्रदान करने का प्रस्ताव जबकि वास्तव में रियायत के अंतर्गत अंशतः या पूर्णतः उसके मूल्य की वसूली पहले ही कर ली जाती है;

(ख) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी उत्पाद की बिक्री उपयोग या आपूर्ति या व्यवसाय हित की वृद्धि के लिए प्रतियोगिता, लाटरी, दैव या कौशल क्रीड़ा का संचालन;

[1](3-क) भेंट, पुरस्कार या अन्य सामग्री निःशुल्क देने का प्रस्ताव करने वाले किसी योजना के भागीदारों से उसकी समाप्ति पर योजना के अन्तिम परिणाम के बारे में सूचना देने से विधारित करना।

स्पष्टीकरण - इस उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए, यह माना जायेगा कि योजना के भागीदारों को योजना के अन्तिम परिणाम की सूचना दी गयी है, जहाँ ऐसा परिणाम

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 2 (ज) (i) द्वारा 15.3.2003 से अंत:स्थापित।

युक्तियुक्त समय के भीतर प्रमुख रूप से उसी समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाता है, जिसमें मूल योजना विज्ञापित की गयी थी;)

(4) उपभोक्ता द्वारा प्रयोग के लिए अभिप्रेत या प्रयोग के लिए संभावित वस्तुओं की बिक्री या आपूर्ति की अनुमति यह जानकर या समझकर भी देता है कि निष्पादन, संगठन, अंतर्वस्तु, डिजाइन, संरचना, परिसज्जन या पैकिंग के मामले में ये वस्तुएँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्धारित स्तर के अनुरूप नहीं है, जो कि इन वस्तुओं का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को होने वाली हानि की संभावना या वास्तविक हानि को रोकने या कम करने के लिए अति आवश्यक है;

(5) वस्तुओं की जमाखोरी या विनष्टीकरण की अनुमति देता है या वस्तुओं की बिक्री करने में या बिक्री के लिए वस्तुओं को उपलब्ध कराने से इंकार करता है यदि ऐसा जमाखोरी विनष्टीकरण या इंकार से उन वस्तुओं, या उनसे मिलती-जुलती वस्तुओं या सेवाओं की लागत में वृद्धि हो या वृद्धि की प्रवृत्ति हो।

[1](6) नकली माल का विनिर्माण पर विक्रय के लिए ऐसे माल का प्रस्ताव या सेवा प्रदान करने में प्रवंचक प्रथा अंगीकार करना।

(2) इस अधिनियम में ऐसे किसी अन्य अधिनियम या उसके उपबंध के प्रति किसी ऐसे निर्देश का जो किसी ऐसे क्षेत्र में जिसको यह अधिनियम लागू होता है, प्रवृत्त नहीं है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त किसी तत्स्थायी अधिनियम या उसके उपबंध के प्रति निर्देश है।

3. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में।

अध्याय – 2
उपभोक्ता संरक्षण परिषद

[2]4. केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद - (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से जो वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के रूप में ज्ञात एक परिषद का (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय परिषद कहा गया है) गठन करेगी।

(2) केन्द्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् -

(क) केन्द्रीय सरकार के उपभोक्ता मामले का भारसाधक मंत्री जो उसका अध्यक्ष होगा;

---

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 2 (च) (ii) द्वारा 15.3.2003 से अंतःस्थापित।
2. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 3 द्वारा 15.3.2003 से प्रतिस्थापित

(ख) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सरकारी या गैर-सरकारी सदस्यों की उतनी संख्या जो विहित की जाए।

[1]5. **केन्द्रीय परिषद के अधिवेशनों की प्रक्रिया** - (1) केन्द्रीय परिषद के अधिवेशन आवश्यकतानुसार होंगे किंतु प्रत्येक वर्ष में परिषद के 'कम से कम एक अधिवेशन' किया जायगा।

(2) केन्द्रीय परिषद का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे और वह अपने कारबार के संव्यवहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो विहित की जाए।

[2]6. **केन्द्रीय परिषद के उद्देश्य** - केन्द्रीय परिषद का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करना होगा, जैसे -

(क) जीवन और संपत्ति के लिए परिसंकटमय 'माल.एवं सेवाओं ' के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार;

(ख) माल या 'सेवाएँ जैसी भी स्थिति हो' की गुणता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार जिसमें कि अनुचित व्यापारिक व्यवहार से उपभोक्ता को संरक्षण दिया जा सके;

(ग) जहाँ भी संभव हो वहाँ प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विभिन्न किस्मों का माल 'एवं सेवाएँ' सुलभ कराने का आश्वासन दिए जाने का अधिकार;

(घ) सुने जाने का और यह आश्वासन दिए जाने का अधिकार कि उपभोक्ता के हितों पर समुचित पीठों में सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा;

(ङ) अनुचित व्यापारिक व्यवहार 'या प्रतिबंधित व्यापार प्रथाओं ' उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के प्रतितोष प्राप्त करने का अधिकार; और

(च) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।

[3]7. **राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद** - (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से जो वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे। उपभोक्ता संरक्षण परिषद के रूप में ज्ञात एक परिषद का (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्य परिषद कहा गया है) गठन करेगी।

[4](2) राजकीय परिषद में निम्न सदस्यगण होंगे, नामतः -

(क) राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री जो कि इसका अध्यक्ष होगा;

(ख) इन हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले शासकीय या गैर-शासकीय सदस्यों की ऐसी

---

1. 1993 की अधिनियम संख्या 50 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1993 की अधिनियम संख्या 50 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1993 की अधिनियम संख्या 50 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 1993 की अधिनियम संख्या 50 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

संख्या जो राज्य सरकार निर्धारित करे।

[1](ग) अन्य शासकीय या गैर शासकीय सदस्यों की संख्या जो दस से अधिक न हो जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जायें।

(3) राज्य परिषद् के अधिवेशन आवश्यकतानुसार होंगे किन्तु प्रति वर्ष कम से कम दो अधिवेशन किए जायेंगे।

(4) राज्य परिषद् का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे और वह अपने कारबार के संव्यवहार के बारे में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो राज्य द्वारा विहित की जाए।

8. **राज्य परिषद के उद्देश्य** - प्रत्येक राज्य परिषद का उद्देश्य, राज्य के भीतर, धारा 6 के खण्ड (क) से खण्ड (च) में अधिकथित उपभोक्ता अधिकारों का संबर्द्धन और संरक्षण करना होगा।

[2]8-क. **जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्** : (1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जिसे ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, परिषद् की स्थापना करेगी, जो जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के रूप में ज्ञात होगी।

(2) जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् (जिसे एतस्मिन पश्चात् जिला परिषद् के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा) निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :

(क) जिले का कलेक्टर (चाहे जिस नाम से कहा जाये), जो इसका अध्यक्ष होगा, और

(ख) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य शासकीय और गैर शासकीय सदस्यों की ऐसी संख्या, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

(3) जिला परिषद् तब बैठक करेगी, जैसे और जब आवश्यक हो, किन्तु प्रत्येक वर्ष दो से कम बैठक आयोजित नहीं की जायेंगी।

(4) जिला परिषद् जिले के भीतर ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी जैसा कि अध्यक्ष ठीक समझे और अपने कारबार के संव्यवहार के सम्बन्ध में ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये।

8-ख. **जिला परिषद् का उद्देश्य** : प्रत्येक जिला परिषद् का उद्देश्य जिले के भीतर उपभोक्ताओं के अधिकारों में, जो धारा 6 के खण्ड (क) से (च) में अधिकथित है, संवर्धन करना और उनका संरक्षण करना होगा।)

---

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 4 द्वारा 15.3.2003 से प्रतिस्थापित।
2. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 5 द्वारा 15.3.2003 से प्रतिस्थापित।

अध्याय - 3
उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण

9. **उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण की स्थापना** - इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अभिकरणों की स्थापना की जाएगी, अर्थात् -

(क) 'राज्य सरकार जिला पीठ' के रूप में ज्ञात एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष पीठ की स्थापना (----)★, अधिसूचना द्वारा, राज्य के प्रत्येक जिले में करेगी;

★परंतु यदि राज्य सरकार उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकेगी।

(ख) राज्य सरकार 'राज्य आयोग' के रूप में ज्ञात एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना, (----)★ अधिसूचना द्वारा, राज्य में करेगी; और

(ग) केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना, अधिसूचना द्वारा करेगी।

10. **जिला पीठ की संरचना**★★ (1) प्रत्येक जिला पीठ निम्न से मिलाकर बनेगी -

(क) एक ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या होने के योग्य है, इसका अध्यक्ष होगा;

[1](ख) दो अन्य सदस्य, जिनमें से एक महिला होगी, जो निम्नलिखित अर्हता धारण करेंगे, अर्थात् :

(i) पैंतीस वर्ष से कम आयु के न हों,

(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण करते हों,

(iii) योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हों और जो अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण का पर्याप्त ज्ञान और कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखते हों :

परन्तु व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह होगा, यदि :

(क) उसे ऐसे अपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल है, दोषसिद्ध किया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है, या

(ख) अननुमोचित दिवालिया है, या

(ग) वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

★ 1993 के अधिनियम संख्या 50 की धारा 7 द्वारा विलोपित।

★★ 1993 के अधिनियम संख्या 50 की धारा 8 द्वारा विलोपित।

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 6 (क) द्वारा 15.3.2003 से प्रतिस्थापित।

अभिकरण

पना - इस अधिनियम के प्रयोजनों के
गी, अर्थात् -

क उपभोक्ता विवाद प्रतितोष पीठ की
के प्रत्येक जिले में करेगी;

। एक जिले में एक से अधिक जिला

गत एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
ारा, राज्य में करेगी; और

वाद प्रतितोष आयोग की स्थापना,

म्न से मिलाकर बनेगी -

चुका है या होने के योग्य है, इसका

।, जो निम्नलिखित अर्हता धारण

की उपाधि धारण करते हों,

व्यक्ति हों और जो अर्थशास्त्र,
कार्य या प्रशासन से सम्बन्धित
। और कम से कम दस वर्ष का

गा, यदि :

रकार की राय में नैतिक अधमता
रावास से दण्डित किया गया है,

। ऐसा घोषित किया गया है, या

स्थापित।

(घ) वह सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निगमित निकाय की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है, या

(ङ) उसका, राज्य सरकार की राय में, ऐसा वित्तीय या अन्य हित है, जो उसके द्वारा सदस्य के रूप में उसके कृत्यों के निर्वहन को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करने के लिए सम्भाव्य है, या

(च) उसकी ऐसी अन्य अनर्हता है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।)

1 (क)★ उपधारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निम्न सदस्यों वाली चयन समिति के अनुमोदन पर की जावेगी -

(1)	राज्य आयोग का अध्यक्ष	-	अध्यक्ष
(2)	राज्य के विधि विभाग का सचिव	-	सदस्य
(3)	राज्य में उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रभार में होने वाला सचिव	-	सदस्य

[1](**परन्तु** जहाँ राज्य आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में असमर्थ है, वहाँ राज्य सरकार मामले को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उस उच्च न्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश को नामित करने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी।)

[2](2) जिला फोरम का प्रत्येक सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेगा :

परन्तु सदस्य पाँच वर्ष की अन्य अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए इस शर्त के अध्यधीन अर्ह होगा कि वह उपधारा (1) के खण्ड (ख) में वर्णित नियुक्ति के लिए अर्हता और अन्य शर्तों को पूरा करता है और ऐसी पुनर्नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर ही की जाती है :

परन्तु यह और कि सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिए जाने पर उसका पद रिक्त हो जायेगा और वह ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा, जिसके पास ऐसे किसी सदस्य के प्रवर्ग के सम्बन्ध में, जिसकी उस व्यक्ति के स्थान पर, जिसने त्याग-पत्र दिया है, उपधारा (1-क) के प्रावधानों के अधीन, नियुक्त किए जाने की अपेक्षा की जाती है, उपधारा (1) में वर्णित अर्हताओं में से कोई अर्हता है :

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 6 (ख) द्वारा 15.3.2003 से प्रतिस्थापित।
2. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 6 (ग) द्वारा 15.3.2003 से प्रतिस्थापित।
★. 1997 के अधिनियम संख्या 50 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित।

परन्तु यह भी कि उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारम्भ के पूर्व अध्यक्ष के रूप में या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति उसकी अवधि के पूरा होने तक अध्यक्ष या सदस्य यथास्थिति के रूप में ऐसा पद धारण करता रहेगा।)

(3) जिला फोरम के सदस्यों को देय वेतन या मानदेय और अन्य भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें :

★(परन्तु पूर्ण कालिक आधार पर सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग के अध्यक्ष की अनुशंसा पर ऐसे कारकों को, जैसा कि विहित किया जाये, जिसमें जिला फोरम का कार्यभार शामिल है, ध्यान में रखते हुए की जायेगी।)

11. **जिला पीठ की अधिकारिता** - (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जिला पीठ को ऐसे परिवादों को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी जहाँ माल या सेवा का मूल्य और दावा प्रतिकर, यदि कोई है, ★★ बीस लाख से अधिक नहीं होता है।

(2) परिवाद ऐसे जिला पीठ में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर -

(क) विरोधी पक्षकार, या जहाँ एक से अधिक विरोधी पक्षकार हैं, वहाँ विरोधी पक्षकारों में से हर एक परिषद के संस्थित किए जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है अथवा# शाखा कार्यालय है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, अथवा

(ख) जहाँ एक से अधिक विरोधी पक्षकार हैं वहाँ विरोधी पक्षकारों में से कोई भी विरोधी पक्षकार परिवाद के संस्थित किए जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है अथवा# शाखा कार्यालय है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, परंतु यह तब जबकि ऐसी अवस्था में या तो जिला पीठ को इजाजत दे दी गई है या जो विरोधी पक्षकार पूर्वोक्त रूप से निवास नहीं करते या कारबार नहीं करते# या शाखा कार्यालय नहीं रखते या अभिलाभ के लिए स्वयं काम नहीं करते वे ऐसे संस्थित किए जाने के लिए उपमत हो गई है, अथवा

(ग) वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा होता है।

★★★12. **रीति जिसमें परिवाद किया जावेगा** - (1) विक्रीत या परिदत्त या विक्रय या परिदान के लिए सहमत किसी माल के संबंध में अथवा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराने के लिए सहमत सेवा के संबंध में परिवाद जिला फोरम में निम्न के द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी -

(क) उपभोक्ता, जिसको कि ऐसा माल विक्रय किया गया है या परिदत्त किया गया है अथवा विक्रय करने या परिदान करने के लिए सहमति दी गई है अथवा जिसको ऐसी सेवा उपलब्ध कराई गई है अथवा उपलब्ध कराने के लिए सहमति प्रदान की

★ 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 6 (ग) द्वारा 15.3.2003 से प्रतिस्थापित।

★★ 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 4 द्वारा 15.3.2003 से प्रतिस्थापित।

★★★ 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 8 द्वारा 15.3.2003 से प्रतिस्थापित।

1993 के अधिनियम संख्या 50 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।

धिनियम, 2002 के प्रारम्भ के पूर्व
गया व्यक्ति उसकी अवधि के पूरा
पद धारण करता रहेगा।)
अन्य भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य
हित की जायें :
राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग
विहित किया जाये, जिसमें जिला
ायेगी।)
अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए,
ारिता होगी जहाँ माल या सेवा का
अधिक नहीं होता है।
सकी अधिकारिता की स्थानीय

पक्षकार हैं, वहाँ विरोधी पक्षकारों
मय वास्तव में और स्वेच्छा से
खा कार्यालय है या अभिलाभ के

पक्षकारों में से कोई भी विरोधी
स्तव में और स्वेच्छा से निवास
र्यालय है या अभिलाभ के लिए
वस्था में या तो जिला पीठ को
त रूप से निवास नहीं करते या
ते या अभिलाभ के लिए स्वयं
पमत हो गई है, अथवा

परिदत्त या विक्रय या परिदान
राई गई या उपलब्ध कराने के
के द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी -
ा है या परिदत्त किया गया है
ति दी गई है अथवा जिसको
ाने के लिए सहमति प्रदान की

थापित।
त।
त।

गई है;

(ख) कोई मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम चाहे उपभोक्ता जिसको माल विक्रय किया गया है या परिदान किया गया है या माल विक्रय या परिदान करने के लिए सहमति प्रदान की गई है या सेवा उपलब्ध कराई गई है या सेवा उपलब्ध करने हेतु सहमति प्रदान की गई है, इस संगठन का सदस्य हो अथवा नहीं;

(ग) जहाँ बहुसंख्यक उपभोक्ताओं का समान हित हो, तो वहाँ जिला फोरम की अनुमति से सभी ऐसे हितबद्ध उपभोक्ताओं की ओर से व उनके लिए एक या एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा; अथवा

(घ) केन्द्र या राज्य सरकार यथा स्थिति या तो व्यक्तिगत हैसियत में साधारणतया उपभोक्ताओं के हित के प्रतिनिधि में रूप में।

(2) उपधारा (1) के अधीन दाखिल किया गया प्रत्येक परिवाद ऐसी फीस की धनराशि के साथ होगा और ऐसे ढंग में संदेय होगा, जैसा कि विहित किया जाये।

(3) उपधारा (1) के अधीन किये गये परिवाद की प्राप्ति पर, जिला फोरम आदेश द्वारा परिवाद को अनुज्ञात कर सकेगा, जिस पर कार्यवाही की जायेगी या जिसे नामंजूर किया जायेगा :

परन्तु परिवाद इस उपधारा के अधीन नामंजूर नहीं किया जायेगा, यदि परिवादी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है :

(4) जहाँ उपधारा (3) के अधीन परिवाद में कार्यवाही किये जाने की अनुज्ञा दी जाती है, वहाँ जिला फोरम इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित ढंग से परिवाद में कार्यवाही कर सकेगा :

परन्तु जहाँ परिवाद जिला फोरम द्वारा स्वीकार किया गया है, वहाँ इसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या के अधीन स्थापित किसी अन्य न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकारी को अन्तरित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के उद्देश्य के लिए 'मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम' से आशय कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्वीकृत कोई स्वेच्छिक उपभोक्ता संगम से है।

13. ★**परिवादों की स्वीकृति की प्रक्रिया** - (1) जिलापीठ, ★किसी परिवाद की स्वीकृति पर, यदि वह किसी माल के संबंध में है -

★(क) स्वीकृत परिवाद की एक प्रति, उसकी स्वीकृति की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर परिवाद में वर्णित विरोधी पक्षकार को यह निदेश देते हुए निर्देशित करेगा कि वह तीस दिन की अवधि या पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसी बढ़ाई गयी अवधि के भीतर जो जिला फोरम द्वारा मंजूर की जाये, मामले के बारे में अपना कथन दे;

★ 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 9 द्वारा 15.3.2003 से प्रतिस्थापित।

(ख) जहाँ विरोधी पक्षकार खंड (क) के अधीन उसको निर्दिष्ट किसी परिवाद की प्राप्ति पर, परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से इंकार करता है या उनका प्रतिवाद करता है या जिलापीठ द्वारा दिए गए समय के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई कार्यवाही करने का लोप करता है या करने में असफल रहता है वहाँ जिलापीठ उपभोक्ता विवाद को खंड (ग) से खंड (छ) में विनिर्दिष्ट रीति में निपटाने के लिए कार्यवाही करेगा;

(ग) जहाँ परिवादी ने माल में किसी ऐसी त्रुटि का अभिकथन किया है जिसका अवधारण माल के उचित विश्लेषण या परीक्षण के बिना नहीं किया जा सकता है वहाँ जिला पीठ परिवादी से माल का नमूना अभिप्राप्त करेगा उसे सीलबंद करेगा और विहित रीति से अधिप्रमाणित करेगा और इस प्रकार सीलबंद नमूने को इस निर्देश के साथ समुचित प्रयोगशाला को निर्देशित करेगा कि ऐसी प्रयोगशाला यह पता लगाने की दृष्टि से ऐसे विश्लेषण या परीक्षण, जो भी आवश्यक हो, करे कि ऐसे माल में परिवाद में अभिकथित कोई त्रुटि है या नहीं अथवा माल में कोई अन्य त्रुटि है या नहीं और उस पर अपनी रिपोर्ट निर्देश की प्राप्ति के पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो जिलापीठ द्वारा मंजूर की गई हो, जिलापीठ को भेजेगा;

(घ) माल का कोई नमूना खंड (ग) के अधीन किसी समुचित प्रयोगशाला में निर्दिष्ट किए जाने के पूर्व जिलापीठ परिवादी से प्रश्नगत माल के संबंध में आवश्यक विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए समुचित प्रयोगशाला को संदाय के लिए ऐसी फीस जो विहित की जाए पीठ के खाते में जमा कराने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ङ) जिलापीठ खंड (घ) के अधीन उसके खाते में जमा की गई रकम को समुचित प्रयोगशाला को प्रेषित करेगा जिससे कि वह खंड (ग) में वर्णित विश्लेषण या परीक्षण कर सके और समुचित प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त करने पर जिलापीठ ऐसी टिप्पणी सहित जो जिलापीठ उचित समझे, रिपोर्ट की एक प्रति विरोधी पक्षकार को भेजेगा;

(च) यदि कोई पक्षकार समुचित प्रयोगशाला के किसी निष्कर्ष की सत्यता के बारे में विवाद करता है या समुचित प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विश्लेषण या परीक्षण पद्धति के सही होने के बारे में विवाद करता है तो जिलापीठ विरोधी पक्षकार या परिवादी से समुचित प्रयोगशाला द्वारा दी गई रिपोर्ट की बाबत उसके आक्षेपों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(छ) जिलापीठ तत्पश्चात्, परिवादी तथा विरोधी पक्षकार को, समुचित प्रयोगशाला द्वारा की गई रिपोर्ट की सत्यता के बारे में या अन्यथा और खंड (च) के अधीन उसके संबंध में किए गए आक्षेपों के बारे में भी सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देगा और धारा 14 के अधीन एक समुचित आदेश जारी करेगा।

ार्दिष्ट किसी परिवाद की प्राप्ति
। है या उनका प्रतिवाद करता है
पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई
सफल रहता है वहाँ जिलापीठ
ार्दिष्ट रीति में निपटाने के लिए

यन किया है जिसका अवधारण
किया जा सकता है वहाँ जिला
से सीलबंद करेगा और विहित
द नमूने को इस निर्देश के साथ
योगशाला यह पता लगाने की
यक हो, करे कि ऐसे माल में
ल में कोई अन्य त्रुटि है या नहीं
लीस दिन की अवधि के भीतर
। गई हो, जिलापीठ को भेजेगा;
मुचित प्रयोगशाला में निर्दिष्ट
माल के संबंध में आवश्यक
शाला को संदाय के लिए ऐसी
की अपेक्षा कर सकेगा;
ा की गई रकम को समुचित
(ग) में वर्णित विश्लेषण या
ोर्ट प्राप्त करने पर जिलापीठ
रिपोर्ट की एक प्रति विरोधी

नेष्कर्ष की सत्यता के बारे में
ाई गई विश्लेषण या परीक्षण
जिलापीठ विरोधी पक्षकार या
ं की बाबत उसके आक्षेपों को

ार को, समुचित प्रयोगशाला
ाथा और खंड (च) के अधीन
ाई का एक युक्तियुक्त अवसर
री करेगा।

(2) जिलापीठ, यदि धारा 12 के अधीन उसके द्वारा स्वीकृत★ परिवाद ऐसे माल के संबंध में है जिसकी बाबत उपधारा (1)में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा सकता है या यदि परिवाद किसी सेवा के संबंध में है, तो वह -

(क) ऐसे परिवाद की एक प्रति विरोधी पक्षकार को उसे यह निर्देश देते हुए निर्देशित करेगा कि वह तीस दिन की अवधि के भीतर या पन्द्रह दिन से अनधिक की ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो जिलापीठ द्वारा मंजूर की जाए अपना कथन प्रस्तुत करेगा ;

(ख) जहाँ विरोधी पक्षकार, खंड (क) के अधीन उनको निर्दिष्ट, परिवाद की प्रति की प्राप्ति पर, परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से इंकार करता है या उनका प्रतिवाद करता है या जिलापीठ द्वारा दिए गए समय के भीतर अपने मामले का अभ्यावेदन करने के लिए कोई कार्यवाही करने का लोप करता है या उसमें असफल रहता है तो जिलापीठ निम्नलिखित आधार पर उपभोक्ता विवाद का निपटारा करने के लिए अग्रसर होगा -

(1) जहाँ विरोधी पक्षकार, परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथन से इंकार करता है या उनका प्रतिवाद करता है वहाँ परिवादी और विरोधी पक्षकार द्वारा उसकी दृष्टि में लाए गए साक्ष्य के आधार पर, या

(2) जहाँ विरोधी पक्षकार, पीठ द्वारा दिए गए समय के भीतर अपने मामले का अभ्यावेदन करने के लिए कोई कार्यवाही करने का लोप करता है या उसमें असफल रहता है वहाँ परिवादी द्वारा उसकी दृष्टि में लाए गए (साक्ष्य के आधार पर एक पक्षीय)★

★(ग) जहाँ परिवादी जिला फोरम के समक्ष सुनवाई की तारीख पर उपसंजात होने में असफल रहता है, वहाँ जिला फोरम या तो व्यतिक्रम के लिए परिवाद को निरस्त कर सकेगा या गुणावगुण पर उसका विनिश्चय कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अभिकथित प्रक्रिया के अनुपालन में किसी कार्यवाही को किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया है।

★(3-क) प्रत्येक परिवाद की सुनवाई यथा सम्भव यथा शीघ्र की जायेगी और विपक्षी पक्षकार द्वारा नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, जहाँ परिवाद वस्तु के विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा नहीं करता और पाँच मास के भीतर परिवाद का विनिश्चय करने का प्रयास किया जायेगा, यदि वस्तु विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा करती है :

★ 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 9 द्वारा 15.3.2003 से प्रतिस्थापित।

परन्तु साधारणतया जिला फोरम द्वारा कोई स्थगन मंजूर नहीं किया जायेगा, यदि पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता और स्थगन की मंजूरी के लिए फोरम द्वारा कारण लेखबद्ध नहीं किए गये हैं :

परन्तु यह और कि जिला फोरम स्थगन द्वारा उत्पन्न व्यय के सम्बन्ध में ऐसा आदेश करेगा, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन निर्मित विनियम में उपबन्धित किया जाये :

परन्तु यह भी कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गयी अवधि के बाद परिवाद को निस्तारित किए जाने की स्थिति में जिला फोरम उक्त परिवाद के निस्तारण के समय उसके लिए कारण लेखबद्ध करेगा।

(3-ख) जहाँ जिला फोरम के समक्ष किसी कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान, उसे आवश्यक प्रतीत होता है, वहाँ वह ऐसा अन्तरिम आदेश पारित करेगा, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ठीक और न्यायोचित है।

(4) इस धारा के प्रयोजनार्थ जिलापीठ को, निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियाँ होंगी; जो किसी सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी बात का विचारण करते समय होती है , अर्थात् -

(1) किसी प्रतिवादी या साक्षी को समन करना तथा हाजिर कराना और शपथ पर साक्षी की परीक्षा करना ;

(2) साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य दस्तावेज या अन्य तात्विक वस्तु का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(3) शपथ पत्रों पर साक्ष्य पेश करना ;

(4) समुचित प्रयोगशाला या किसी अन्य सुसंगत स्त्रोत के सम्बद्ध विश्लेषण या परीक्षण की रिपोर्ट की अध्यपेक्षा करना ;

(5) किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(6) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाएँ।

(5) जिलापीठ के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, 1960 (1960 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और जिलापीठ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195, और अध्याय 26 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

★(6) जहाँ परिवादी धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (4) में संदर्भित उपभोक्ता है तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1980 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 1 नियम 8 के प्रावधान, उसमें संदर्भित वाद या डिक्री के संदर्भ में प्रत्येक निर्देश, संशोधन के विषयाधीन रहते हुए, ऐसे प्रयोज्य होगा मानो वह जिला फोरम के आदेश या परिवाद के लिए निर्देश हो।

★ 1993 की अधिनियम संख्या 11 द्वारा अंतःस्थापित।

★(7) परिवादी की, जो उपभोक्ता है या विरोधी पक्षकार की, जिसके विरुद्ध परिवाद दाखिल किया गया है, मृत्यु की स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 22 के प्रावधान ऐसे उपान्तरण के अध्यधीन लागू होंगे कि उसमें वादी और प्रतिवादी को प्रत्येक निर्देश का अर्थान्वयन परिवादी या विरोधी पक्षकार, यथास्थिति; को निर्देश के रूप में किया जायेगा।

14. **जिलापीठ के निष्कर्ष** - (1) यदि धारा 13 के अधीन की गई कार्यवाही के पश्चात् जिलापीठ का यह समाधान हो जाता है कि उस माल में जिसके बारे में परिवाद किया गया है, परिवाद में विनिर्दिष्ट कोई त्रुटि है या सेवाओं के बारे में परिवाद में अंतर्विष्ट कोई अभिकथन साबित हो गया है तो वह विरोधी पक्षकार को निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक बातें करने का निर्देश देने वाला आदेश जारी करेगा , अर्थात् -

(क) प्रश्नगत माल में से समुचित प्रयोगशाला द्वारा प्रकट की गई त्रुटि को दूर करना,

(ख) माल को उसी वर्णन के नए और त्रुटिहीन माल से बदलना,

(ग) परिवादी द्वारा विरोधी पक्षकार को संदत्त, यथास्थिति, कीमत या प्रभारों को परिवादी को वापस लौटाना,

(घ) ऐसी रकम का संदाय करना जो विरोधी पक्षकार की उपेक्षा के कारण उपभोक्ता द्वारा सहन की गई किसी हानि या क्षति के लिए परिवादी को प्रतिकार के रूप में अधिनिर्णीत की गई है,

★★परंतु जिला फोरम को ऐसी परिस्थितियों में, जिन्हें वह ठीक समझे, दण्डात्मक क्षति मंजूर करने की शक्ति होगी।

[1](ङ) प्रश्नगत★★ माल में त्रटियों या सेवाओं के संबंध में कमियों को दूर करना।

(च) अनुचित व्यापार प्रथा या प्रतिबंधित व्यापार प्रथा को बंद करना या उनकी पुनरावृत्ति रोकना,

(छ) जोखिम पूर्ण माल के विक्रय का प्रस्ताव रोकना,

(ज) जोखिम पूर्ण माल जो कि विक्रय के लिए प्रस्तावित किया गया हो उसको वापस लेना,

★★(जक) परिसंकटमय माल के विनिर्माण से प्रविरत रहना और ऐसी सेवा का प्रस्ताव करने से प्रतिविरत रहना, जो प्रकृति में परिसंकटमय हो ;

(जख) ऐसी धनराशि का भुगतान करना, जैसा कि उसके द्वारा निर्धारित किया जाये, यदि उसकी राय है कि हानि या क्षति उपभोक्ताओं की काफी संख्या द्वारा सहन की गयी है, जो आसानी से पहचान योग्य है :

★ 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 9 द्वारा 15.3.2003 से अंत:स्थापित।

★★ 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 10 द्वारा 15.3.2003 से अंत:स्थापित।

1. 1997 की अधिनियम संख्या 50 की धारा 12 द्वारा यथा संशोधित।

परन्तु इस प्रकार संदेय राशि की न्यूनतम धनराशि ऐसे उपभोक्ताओं को विक्रय किए गये ऐसे त्रुटिपूर्ण माल या प्रदान की गयी सेवा, यथास्थिति, के मूल्य के पाँच प्रतिशत से न्यून नहीं होगी :

(जग) भ्रामक विज्ञापन के प्रभाव को ऐसे भ्रामक विज्ञापन को जारी करने के लिए विरोधी पक्षकार के व्यय पर निष्प्रभावी करने के लिए सुधार विज्ञापन जारी करना;

(झ) पक्षकारों को पर्याप्त हर्जाना दिलाना

[1](2) उपधारा (1) में संदर्भित प्रत्येक कार्यवाही जिलापीठ के अध्यक्ष और कम से कम एक सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से बैठक में संचालित की जाएगी;

★★**परन्तु** जहाँ किसी कारण से वह सदस्य, उस कार्यवाही का संचालन उसके पूर्ण होने तक करने में असमर्थ है, वहाँ अध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य उस प्रक्रम से कार्यवाही को जारी रखेंगे, जिस पर उसकी अन्तिम बार सुनवाई, पूर्व सदस्य द्वारा की गयी थी।

(2-क) उपधारा (3) के अधीन जिलापीठ द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश उसके अध्यक्ष सदस्य और सदस्यों द्वारा, जिन्होंने कार्यवाही का संचालन किया, हस्ताक्षरित किया जाएगा;

परंतु जहाँ कार्यवाही अध्यक्ष और एक सदस्य द्वारा संचालित की गई है उनमें किसी बिन्दु या बिन्दुओं पर मतभेद हो, वे उस बिन्दु या बिन्दुओं का कथन करते हुए उसे अन्य सदस्य को उस बिन्दु या बिन्दुओं पर सुनवाई हेतु संदर्भित करेंगे और ऐसे एक या अनेक बिन्दु उस अन्य सदस्य के अभिमत के अनुसार विनिश्चित किये जाएँगे।

(3) पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, जिलापीठ के सदस्यों के आचरण, उसके अधिवेशन और अन्य विषयों में संबंधित प्रक्रिया ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

15. **अपील** - जिलापीठ द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, उस आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग को अपील कर सकेगा;

परंतु राज्य आयोग, तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर फाइल न करने का पर्याप्त कारण था।

★16. **राज्य आयोग की संरचना** - (1) प्रत्येक राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -

(क) एक ऐसा व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और जो उसका अध्यक्ष होगा :

---

1. संशोधित अधिनियम क्र. 34/1991 द्वारा अंत: स्थापित और यह माना जाएगा मानो यह संशोधन आरंभ से ही मूल अधिनियम में समाविष्ट है।

★ 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 9 द्वारा 15.3.2003 से अंत:स्थापित।

★★ 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 10 द्वारा 15.3.2003 से अंत:स्थापित।

शि ऐसे उपभोक्ताओं को विक्रय
ता, यथास्थिति, के मूल्य के पाँच

ा को जारी करने के लिए विरोधी
र विज्ञापन जारी करना;

; अध्यक्ष और कम से कम एक
ा;

ाही का संचालन उसके पूर्ण होने
दस्य उस प्रक्रम से कार्यवाही को
ादस्य द्वारा की गयी थी।

ा प्रत्येक आदेश उसके अध्यक्ष
ालन किया, हस्ताक्षरित किया

लेत की गई है उनमें किसी बिन्दु
कथन करते हुए उसे अन्य सदस्य
ो और ऐसे एक या अनेक बिन्दु
जाएँगे।

ों के आचरण, उसके अधिवेशन
सरकार द्वारा विहित की जाए।

यथित कोई व्यक्ति आदेश की
ौर ऐसी रीति से जो विहित की
सकेगा;

प्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर
धि के भीतर फाइल न करने का

ोम्नलिखित से मिलकर बनेगा -

ायाधीश है या रह चुका है, जिसे
उसका अध्यक्ष होगा :

ा जाएगा मानो यह संशोधन आरंभ से

ापित।

ापित।

#परंतु इस खंड के अधीन कोई नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय के सिवाय नहीं की जावेगी।

[1](ख) दो से न्यून नहीं और सदस्यों की ऐसी संख्या से अधिक नहीं, जैसी कि विहित की जाये और जिनमें से एक महिला होगी; जो निम्नलिखित अर्हता धारण करेंगे, अर्थात् :

(i) पैंतीस वर्ष से कम आयु का न हो,

(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण करता हो,

(iii) योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हों और जो अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण का पर्याप्त ज्ञान हो और कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो :

परन्तु सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक न्यायिक पृष्ठ भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों में से नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए ''न्यायिक पृष्ठ भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों'' की अभिव्यक्तियों का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से होगा, जो जिला स्तरीय न्यायालय में या समान स्तर पर किसी अधिकरण में फोरमासीन अधिकारी के रूप में कम से कम दस वर्ष की अवधि का ज्ञान और अनुभव धारण करते हों :

परन्तु व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह होगा, यदि :

(क) उसे ऐसे अपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल है, दोषसिद्ध किया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है, या

(ख) अननुमोचित दिवालिया है, या

(ग) वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(घ) वह सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निगमित निकाय की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है, या

(ङ) उसका, राज्य सरकार की राय में, ऐसा वित्तीय या अन्य हित है, जो उसके द्वारा सदस्य के रूप में उसके कृत्यों के निर्वहन को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करने के लिए सम्भाव्य है, या

(च) उसकी ऐसी अन्य अनर्हता है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

1993 के अधिनियम संख्या 50 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित।

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 12 द्वारा 15.3.2003 से अंत:स्थापित।

[1](1-क) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :

(i)	राज्य आयोग का अध्यक्ष	:	अध्यक्ष
(ii)	राज्य के विधि विभाग का सचिव	:	सदस्य
(iii)	राज्य में उपभोक्ता सम्बन्धी मामलों के विभाग का भारसाधक सचिव	:	सदस्य

परन्तु जहाँ राज्य आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में असमर्थ है, वहाँ राज्य सरकार मामले को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उस उच्च न्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश को नामांकित करने के लिए निर्देशित कर सकेगी।

(1-ख) (i) राज्य आयोग की अधिकारिता, शक्ति और प्राधिकार का प्रयोग उसकी पीठों द्वारा किया जा सकेगा।

(ii) पीठ का गठन एक या एक से अधिक सदस्यों के साथ अध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा, जैसा कि अध्यक्ष ठीक समझे।

(iii) यदि पीठ के सदस्यों के बीच किसी प्रश्न पर मत भिन्नता है, तो प्रश्न का विनिश्चय बहुमत की राय द्वारा किया जायेगा, यदि बहुमत है, किन्तु यदि सदस्य समान रूप से विभाजित हैं, तो वे उस प्रश्न को अधिकथित करेंगे, जिन पर उनमें मत भिन्नता है और अध्यक्ष को निर्देश करेंगे, जो या तो स्वयं प्रश्न या प्रश्नों की सुनवाई करेगा या मामले को ऐसे प्रश्न या प्रश्नों पर एक या एक से अधिक अन्य सदस्यों द्वारा सुनवाई के लिए निर्देशित करेगा या मामले को ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का विनिश्चय सदस्यों की, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है और जिनमें वह शामिल है, जिसने पहले उसकी सुनवाई की थी, बहुमत की राय के अनुसार किया जायेगा।)

(2) राज्य आयोग के सदस्यों को देय वेतन या मानदेय और अन्य भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें [2](★★★) वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएँ।

[3]परन्तु पूर्ण कालिक आधार पर सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारकों पर, जैसा कि विहित किया जाये और जिसमें राज्य आयोग का कारभार शामिल है, विचार करते हुए राज्य आयोग के अध्यक्ष की अनुशंसा पर की जायेगी।

[4](3) राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य पाँच वर्ष की अवधि या सरसठ वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो, तक पद धारण करेगा :

---

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 12 (ख) द्वारा 15.3.2003 से अंत:स्थापित।
2. 1993 के अधिनियम संख्या 50 की धारा 13 द्वारा लोप किया गया।
3. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 12 (ग) द्वारा 15.3.2003 से अंत:स्थापित।
4. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 12 (घ) द्वारा 15.3.2003 से अंत:स्थापित।

परन्तु सदस्य पाँच वर्ष की अन्य अवधि या सरसठ वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए इस शर्त के अध्यधीन अर्ह होगा कि वह उपधारा (1) के खण्ड में वर्णित नियुक्ति के लिए अर्हता और अन्य शर्तों को पूरा करता है और ऐसी पुनर्नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर भी की जाती है :

परन्तु यह और कि सदस्य राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति भी इस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) में उपबन्धित ढंग से पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होगा :

परन्तु यह भी कि सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिए जाने पर उसका पद रिक्त हो जायेगा और वह ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा, जिसके पास ऐसे किसी सदस्य के प्रवर्ग के सम्बन्ध में, जिसकी उस व्यक्ति के स्थान पर, जिसने त्याग-पत्र दिया है, उपधारा (1-क) के प्रावधानों के अधीन, नियुक्त किए जाने की अपेक्षा की जाती है, उपधारा (1) में वर्णित अर्हताओं में से कोई अर्हता है।

(4) उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारम्भ के पूर्व अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति उसकी अवधि के पूरा होने तक अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, के रूप में ऐसा पद धारण करता रहेगा।'')

17. **राज्य आयोग की अधिकारिता** - [1](1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग की निम्नलिखित अधिकारिता होगी अर्थात् -

(क) (i) ऐसे प्रतिवादों को ग्रहण करना जहाँ माल या सेवाओं का मूल्य और दावा प्रतिकर, यदि ★20 लाख से अधिक है किंतु एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। और [1]

(ii) उस राज्य के भीतर किसी जिलापीठ के आदेशों के विरुद्ध अपील ग्रहण करना; और

(ख) जहाँ राज्य आयोग को यह प्रतीत हो कि किसी जिलापीठ ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं, या जो इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से किया है वहाँ किसी ऐसे उपभोक्ता विवाद के जो राज्य के भीतर किसी जिलापीठ के समक्ष लंबित है या उसके द्वारा विनिश्चित किया गया है, अभिलेखों को मंगाना और समुचित आदेश पारित करना।

---

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 13 द्वारा 15.3.2003 से अंत:स्थापित।

★ 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 4 द्वारा 15.3.2003 से प्रतिस्थापित।

ठस्ती.

[1](2) परिवाद राज्य आयोग में संस्थित किया जायेगा, जिसकी अधिकारिता की सीम के भीतर, :

(क) विरोधी पक्षकार या विरोधी पक्षकारों में से प्रत्येक, जहाँ एक से अधिक हैं, परिवाद को संस्थित करने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या शाखा कार्यालय है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है; या

(ख) विरोधी पक्षकारों में से कोई, जहाँ एक से अधिक है, परिवाद संस्थित करने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या शाखा कार्यालय है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है ,परन्तु ऐसे मामले में या तो राज्य आयोग की अनुमति दी जाती है या विरोधी पक्षकार, जो निवास नहीं करते या कारबार नहीं करते या शाखा कार्यालय नहीं है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य नहीं करते, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे संस्थित करने के लिए सहमति देते हैं; या

(ग) वाद हेतुक पूर्णतया या अंशतः उत्पन्न होता है।

[2]17-क. **मामलों का अन्तरण :** राज्य आयोग, परिवादी के आवेदन पर स्वप्रेरणा पर, कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर, जिला फोरम के समक्ष लम्बित किसी परिवाद का अन्तरण राज्य के भीतर अन्य जिला फोरम को कर सकेगा, यदि न्याय का हित ऐसी अपेक्षा करता है।

17-ख. **सर्किट फोरम :** राज्य आयोग साधारणतया राज्य की राजधानी में कार्य करेगा किन्तु अपने कार्य का निर्वहन ऐसे अन्य स्थान पर भी कर सकेगा, जैसा कि राज्य सरकार, राज्य आयोग से परामर्श करके समय-समय से शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करे।)

★18. **राज्य आयोग को लागू प्रक्रिया** - धारा 12, धारा 13 और धारा 14 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान अधीन जिलापीठ द्वारा परिवादों के निपटारे के लिए ऐसे उपांतरणों सहित जो आवश्यक हों, राज्य आयोग द्वारा विवादों के निपटारे को लागू होगी।

18. क. **अध्यक्ष के पद की रिक्ति** - [3](----)

19. **अपील** - धारा 17 के खंड (क) के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित, आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, उस आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग को अपील कर सकेगा;

परंतु राष्ट्रीय आयोग तीस दिन की उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर

---

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 13 द्वारा 15.3.2003 से अंतःस्थापित।
2. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 14 द्वारा 15.3.2003 से अंतःस्थापित।
3. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 15 द्वारा 15.3.2003 से विलोपित।

★ 1993 के अधिनियम संख्या 50 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।

सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था।

[1]परन्तु यह और कि व्यक्ति द्वारा, जिससे राज्य आयोग के आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, कोई अपील राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी, यदि अपीलार्थी ने विहित ढंग से धनराशि का पचास प्रतिशत या पैंतीस हजार रुपये जो भी कम हो, का निक्षेप नहीं किया है।

[2]19-क. **अपील की सुनवाई** : राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दाखिल की गयी अपील की सुनवाई यथा सम्भव यथा शीघ्रता से की जायेगी और अपील का उसकी स्वीकृति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अन्तिम रूप से निस्तारण करने का प्रयास किया जायेगा:

परन्तु साधारणतया राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, द्वारा कोई स्थगन मंजूर नहीं किया जायेगा, यदि पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता और स्थगन की मंजूरी के कारण को ऐसे आयोग द्वारा लेख-बद्ध नहीं किया गया है :

परन्तु यह और कि राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, स्थगन द्वारा उत्पन्न व्यय के सम्बन्ध में ऐसा आदेश करेगा, जैसा इस अधिनियम के अधीन निर्माण विनिमय में उपबन्धित हो :

परन्तु यह भी कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गयी अवधि के बाद अपील को निस्तारित किए जाने की स्थिति में, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, उक्त अपील के निस्तारण के समय उसके लिए कारण लेखबद्ध करेगा।

20. **राष्ट्रीय आयोग का गठन** - (1) राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -

(क) एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो उसका अध्यक्ष होगा;

परंतु इस खंड के तहत कोई नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के बिना नहीं की जावेगी

[3](ख) चार से कम नहीं और सदस्यों की ऐसी संख्या से अधिक नहीं, जैसा कि विहित किया जाये और जिनमें से एक महिला होगी, जो निम्नलिखित अर्हता धारण करेंगे, अर्थात् :

(i) पैंतीस वर्ष से कम आयु के न हों,

(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण करते हों,

---

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 16 द्वारा 15.3.2003 के द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 17 द्वारा 15.3.2003 से प्रतिस्थापित।
3. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।

(iii) योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हों और जो अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण का पर्याप्त ज्ञान हो और कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो :

परन्तु सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक न्यायिक पृष्ठ भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों में से नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजनो के लिए ''न्यायिक पृष्ठ भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों'' की अभिव्यक्तियों का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से होगा, जो जिला स्तरीय न्यायालय में या समान स्तर पर किसी अधिकरण में फोरमासीन अधिकारी के रूप में कम से कम दस वर्ष की अवधि का ज्ञान और अनुभव धारण करते हों :

परन्तु व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह होगा, यदि :

(क) उसे ऐसे अपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल है, दोषसिद्ध किया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है, या

(ख) अननुमोचित दिवालिया है, या

(ग) वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(घ) वह सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निगमित निकाय की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है, या

(ङ) उसका राज्य सरकार की राय में, ऐसा वित्तीय या अन्य हित है, जो उसके द्वारा सदस्य के रूप में उसके कृत्यों के निर्वहन को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करने के लिए सम्भाव्य है, या

(च) उसकी ऐसी अन्य अनर्हता है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

परन्तु यह भी कि इस खण्ड के अधीन प्रत्येक नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर ही की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात् :

(क) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामानुदेशित व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है -	अध्यक्ष
(ख) भारत सरकार के विधिक मामलों के विभाग का सचिव -	सदस्य

(ग) भारत सरकार के उपभोक्ता संबंधी मामलों के विभाग का सचिव - सदस्य

[1](1-क) (i) राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता, शक्ति और प्राधिकार का प्रयोग उसकी पीठों द्वारा किया जा सकेगा।

(ii) पीठ का गठन एक या एक से अधिक सदस्यों के साथ अध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा, जैसा कि अध्यक्ष ठीक समझे।

(iii) यदि पीठ के सदस्यों के बीच किसी प्रश्न पर मत भिन्नता है, तो प्रश्न का विनिश्चय बहुमत की राय द्वारा किया जायेगा, यदि बहुमत है, किन्तु यदि सदस्य समान रूप से विभाजित हैं, तो वे उस प्रश्न या प्रश्नों को अधिकथित करेंगे, जिन पर उनमें मत भिन्नता है और अध्यक्ष को निर्देश करेंगे, जो या तो स्वयं प्रश्न या प्रश्नों की सुनवाई करेगा या मामले को ऐसे प्रश्न या प्रश्नों पर एक या एक से अधिक अन्य सदस्यों द्वारा सुनवाई के लिए निर्देशित करेगा और ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का विनिश्चय सदस्यों की, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है और जिनमें वह शामिल है, जिसने पहले उसकी सुनवाई की थी, बहुमत की राय के अनुसार किया जायेगा।

(2) राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों को देय वेतन या मानदेय और अन्य भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें [2](★★★) वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएँ।

[3](3) राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक सदस्य पाँच वर्ष की अवधि या सत्तर वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा :

परन्तु सदस्य पाँच वर्ष की अन्य अवधि या सत्तर वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए इस शर्त के अध्यधीन अर्ह होगा कि वह उपधारा (1) के खण्ड (ख) में वर्णित नियुक्ति के लिए अर्हता और अन्य शर्तों को पूरा करता है और ऐसी पुनर्नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर भी की जाती है :

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति भी इस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) में उपबन्धित ढंग से पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होगा :

परन्तु यह भी कि सदस्य केन्द्र सरकार को सम्बोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिए जाने पर उसका पद रिक्त हो जायेगा और वह ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा, जिसके पास ऐसे किसी सदस्य के प्रवर्ग के सम्बन्ध में, जिसकी उस व्यक्ति, जिसने त्याग-पत्र दिया है, के स्थान पर उपधारा (1-क) के प्रावधानों के अधीन, नियुक्त किए जाने की अपेक्षा की जाती

---

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 18 (ख) द्वारा 15.3.2003 के द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1993 के अधिनियम संख्या 50 की धारा 6 द्वारा विलोपित।
3. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 18 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

है, उपधारा (1) में वर्णित अर्हताओं में से कोई अर्हता है। 22-ग.

(4) उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारम्भ के पूर्व अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति उसकी अवधि के पूरा होने तक अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, के रूप में ऐसा पद धारण करता रहेगा। 22-घ

21. **राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता** - इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय आयोग को निम्नलिखित अधिकारिता होगी, अर्थात् -

(क) (1) ऐसे परिवादों को ग्रहण करना जहाँ माल या सेवाओं का मूल्य अथवा दावा प्रतिकर यदि कोई है [1]एक करोड़ रुपये से अधिक है, और

(2) किसी राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील ग्रहण करना

(ख) जहाँ राष्ट्रीय आयोग को यह प्रतीत हो कि राज्य आयोग ने ऐसी किसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या जो इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से किया है वहाँ किसी ऐसे उपभोक्ता विवाद के द्वारा जो किसी राज्य आयोग के समक्ष लंबित है या उसके द्वारा विनिश्चित किया गया है अभिलेखों को मांगना या समुचित आदेश पारित करना। 2:

[2]22. **राष्ट्रीय आयोग की प्रयोज्य शक्ति और प्रक्रिया** - (1) जिला फोरम द्वारा परिवादों के निस्तारण के लिए धारा 12, 13 और 14 के प्रावधान तथा इसके अधीन निर्मित नियमावली ऐसे उपान्तरणों के साथ, जैसा कि आयोग द्वारा आवश्यक समझा जाये, राष्ट्रीय आयोग द्वारा विवादों के निस्तारण में लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के प्रतिकूल हुए बिना, राष्ट्रीय आयोग को उसके द्वारा किए गये किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी, जब अभिलेख पर प्रत्यक्षतः त्रुटि है।

22-क. **एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने की शक्ति** - जहाँ राष्ट्रीय आयोग द्वारा विरोधी पक्षकार या परिवादी, यथास्थिति, के विरुद्ध एक पक्षीय पारित किया जाता है, वहाँ व्यथित पक्षकार न्याय के हित में उक्त आदेश को अपास्त करने के लिए आयोग के समक्ष आवेदन कर सकेगा।

22-ख. **मामलों का अन्तरण** - राष्ट्रीय आयोग परिवादी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर न्याय के हित में एक राज्य के जिला फोरम के समक्ष लम्बित किसी परिवाद को अन्य राज्य के जिला फोरम को या राज्य आयोग के समक्ष लम्बित किसी परिवाद को अन्य राज्य आयोग को अन्तरित कर सकेगा।

---

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 द्वारा 15.3.2003 से बीस लाख रुपये के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 20 द्वारा 15.3.2003 से प्रतिस्थापित।

है।

भी, उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन)
दस्य के रूप में नियुक्त किया गया
दस्य, यथास्थिति, के रूप में ऐसा पद

के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए
अर्थात् -

ा या सेवाओं का मूल्य अथवा दावा
अधिक है, और

: अपील ग्रहण करना

ोग ने ऐसी किसी अधिकारिता का
जो इस प्रकार निहित अधिकारिता
धिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से
पभोक्ता विवाद के द्वारा जो किसी
श्चित किया गया है अभिलेखों को

(1) जिला फोरम द्वारा परिवादों के
ा इसके अधीन निर्मित नियमावली
यक समझा जाये, राष्ट्रीय आयोग

न हुए बिना, राष्ट्रीय आयोग को
ाकन करने की शक्ति होगी, जब

हाँ राष्ट्रीय आयोग द्वारा विरोधी
ारित किया जाता है, वहाँ व्यथित
के लिए आयोग के समक्ष आवेदन

 आवेदन पर या स्वप्रेरणा से,
राज्य के जिला फोरम के समक्ष
को या राज्य आयोग के समक्ष
त कर सकेगा।

 स्थान पर प्रतिस्थापित।
ापित।

22-ग. **सर्किट पीठ** - राष्ट्रीय आयोग साधारणतया नई दिल्ली में कार्य करेगा और ऐसे अन्य स्थान पर अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आयोग से परामर्श करके समय-समय से शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करे।

22-घ. **अध्यक्ष के पद में रिक्ति** - जब जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, के अध्यक्ष का पद रिक्त है या ऐसे पद को धारण करने वाला व्यक्ति, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब इनका निर्वहन जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, के वरिष्ठतम सदस्य द्वारा किया जायेगा :

परन्तु जहाँ उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश राष्ट्रीय आयोग का सदस्य है, वहाँ ऐसा सदस्य या जहाँ ऐसे सदस्यों की संख्या एक से अधिक है, वहाँ ऐसे सदस्यों में से वरिष्ठतम व्यक्ति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उस आयोग की अध्यक्षता करेगा।

23. **अपील** - धारा 21 के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा।

परंतु उच्चतम न्यायालय तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पश्चात अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल करने का पर्याप्त कारण था।

[1]परन्तु यह और कि व्यक्ति द्वारा, जिससे राष्ट्रीय आयोग के आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि को भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, कोई अपील उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी, यदि उस व्यक्ति ने विहित ढंग में उस धनराशि का पचास प्रतिशत या पचास हजार रुपये, जो भी कम हो, का निक्षेप नहीं किया है।

24. **आदेशों की अंतिमता** - जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक आदेश यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है, अंतिम होगा।

★24. क. **परिसीमा अवधि** - (1) जिला फोरम, राज्य आयोग का या राष्ट्रीय आयोग किसी परिवाद को ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि यह वाद कारण उत्पन्न होने की दिनांक से दो वर्ष, की अवधि में प्रस्तुत नहीं किया जाता।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के वर्णित होते हुए भी उपधारा (1) वर्णित अवधि से परे भी परिवाद ग्रहण की जा सकती है यदि परिवादी जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित।
★ 1993 के अधिनियम संख्या 50 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।

आयोग जैसी स्थिति हो, को संतुष्ट कर देता है कि उसके पास उस अवधि के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत न करने का समुचित कारण था;

परंतु ऐसा कोई परिवाद तब तक ग्रहण नहीं किया जावेगा जब तक कि यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला फोरम ऐसे विलंब के लिए माफी देने के अपने कारणों को अभिलिखित न करे।

24. ख. **प्रशासनिक नियंत्रण** - (1) राष्ट्रीय आयोग सभी राज्य आयोगों पर निम्न मामलों में प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा, नामत: -

(i) मामले संस्थित होने निराकृत होने, लंबित रहने बाबत अवधि विवरण की मांग करना,

(ii) मामले की सुनवाई के संबंध में एक सी प्रक्रिया करने, एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतिलिपि विपरीत पक्ष को उपलब्ध कराने, किसी भी भाषा से लिखे गए निर्णय का अंग्रेजी में अनुवाद करना, दस्तावेजों की प्रतिलिपि शीघ्रता से प्रदान करने बाबत निर्देश जारी करना,

(iii) राज्य आयोग या जिला फोरम के कार्यो को सामान्य तौर पर इस आशय से देखना कि अधिनियम का उद्देश्य व आशय सर्वोत्तम तरीके से हासिल किया जा सके, परंतु उनको बिना किसी अर्द्ध न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए।

(2) राज्य आयोग उसकी अधिकारिता के तहत जिला फोरमों पर प्रशासनिक नियंत्रण उपधारा (1) में संदर्भित सभी मामलों में रखेगा।

[1]25. **जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तन** - (1) जब इस अधिनियम के अधीन किये गये अन्तरिम आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तब जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, व्यक्ति की, जो ऐसे आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा है, सम्पत्ति को कुर्क किए जाने का आदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गयी कोई कुर्की तीन मास से अधिक प्रवर्तन में नहीं रहेगी, जिसके अन्त में, यदि अननुपालन जारी रहता है, तो कुर्क की गयी सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकेगा और उसके आगम से जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग परिवादी को ऐसी क्षति प्रदान कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे और शेष, यदि कोई हो, का भुगतान उसके हकदार पक्षकार को करेगा।

(3) जहाँ कोई धनराशि जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, द्वारा किए गये आदेश के अधीन किसी व्यक्ति से बकाया है, तो धनराशि का हकदार व्यक्ति जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति के समक्ष आवेदन कर सकेगा और ऐसा जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग जिले के कलेक्टर को (चाहे जिस नाम से बुलाया जाये) उक्त धनराशि के लिए प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा और कलेक्टर उसी ढंग में धनराशि को वसूल करने की कार्यवाही करेगा, जैसे भू-राजस्व के बकाये की वसूली की जाती है।

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 द्वारा प्रतिस्थापित।

उसके पास उस अवधि के अंतर्गत

गा जब तक कि यथास्थिति राष्ट्रीय
लेए माफी देने के अपने कारणों को

ाज्य आयोगों पर निम्न मामलों में

बत अवधि विवरण की मांग करना,
या करने, एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत
। कराने, किसी भी भाषा से लिखे
जों की प्रतिलिपि शीघ्रता से प्रदान

न्य तौर पर इस आशय से देखना
ारीके से हासिल किया जा सके,
ं हस्तक्षेप किए।

ं पर प्रशासनिक नियंत्रण उपधारा

आदेशों का प्रवर्तन - (1) जब
ा अनुपालन नहीं किया जाता है,
यथास्थिति, व्यक्ति की, जो ऐसे
कए जाने का आदेश दे सकेगा।

से अधिक प्रवर्तन में नहीं रहेगी,
ुर्क की गयी सम्पत्ति का विक्रय
ाज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग
समझे और शेष, यदि कोई हो,

ट्रीय आयोग, यथास्थिति, द्वारा
तो धनराशि का हकदार व्यक्ति
ति के समक्ष आवेदन कर सकेगा
ग जिले के कलेक्टर को (चाहे
ाण-पत्र जारी कर सकेगा और
ाही करेगा, जैसे भू-राजस्व के

26. **व्यर्थ या तंग परिवादों का रद्द किया जाना** - जहाँ जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष संस्थित परिवाद व्यर्थ या तंग करने वाली पाई जाती है तो यह कारण लेखबद्ध करने के उपरांत परिवाद निरस्त करेगा ओर इस आशय का आदेश पारित करेगा कि परिवादी विपरीत पक्ष को ऐसा हर्जाना जो आदेश में वर्णित है व जो कि दस हजार रुपए से अधिक न हो, अदा करे।

[1]27. **शास्तियाँ** - (1) जहाँ कोई व्यापारी या ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है (या परिवादी) यथास्थिति, जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा या उसका लोप करेगा तो वहाँ ऐसा व्यापारी या व्यक्ति (या परिवादी) ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति होगी और शक्तियों के ऐसे प्रदान करने पर जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को, यथास्थिति, जिनको इस प्रकार शक्ति प्रदान की जाती है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रयोजन के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट होना माना जायेगा।

इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का संक्षिप्त ढंग से विचारण जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग यथास्थिति द्वारा किया जा सकेगा।

[2](27-क. **धारा 27 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील :** (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, धारा 27 के अधीन तथ्य और विधि दोनों पर अपील :

(क) जिला फोरम द्वारा किए गये आदेश से राज्य आयोग में;

(ख) राज्य आयोग द्वारा किए गये आदेश से राष्ट्रीय आयोग में; और

(ग) राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गये आदेश से उच्चतम न्यायालय में दाखिल होगी।

(2) जैसा कि ऊपर अधिकथित है, उसके सिवाय कोई अपील जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के किसी आदेश से किसी न्यायालय में नहीं होगी।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील जिला फोरम या राज्य आयोग, या यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग के आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर दाखिल की जायेगी :

परन्तु राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग या उच्चतम न्यायालय, यथास्थिति, तीस दिनों की उक्त अवधि के पर्यवसान के बाद भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसे समाधान

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 23 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 24 द्वारा अंतःस्थापित।

हो जाता है कि अपीलार्थी को तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील दाखिल न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

प्रकीर्ण

28. **सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण** - इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अधीन जिलापीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाए गए किसी आदेश के निष्पादन के लिए या सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही जिलापीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के किसी सदस्य या जिलापीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के अधीन कार्यरत किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

[1]28-क. **नोटिस की तामीली इत्यादि** : (1) सभी नोटिस की जो इस अधिनियम द्वारा तामील किए जाने के लिएअपेक्षित है, तामीली उपधारा (2) में एतस्मिन्पश्चात् वर्णित ढंग में की जायेगी।

(2) नोटिस की तामीली विरोधी पक्षकार को, जिसके विरुद्ध परिवाद किया जाता है या परिवादी को सम्बोधित पंजीकृत डाक द्वारा, अभिस्वीकृति के साथ, द्रुतगामी डाक द्वारा या ऐसी कोरियर सेवा द्वारा जिसे जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, द्वारा अनुमोदित किया जाये या दस्तावेजों के प्रेषण के किसी अन्य ढंग द्वारा (जिसमें फैक्स सन्देश भी शामिल है), उसकी प्रतिलिपि का परिदान करके या प्रेषित करके की जाती है।

(3) जब अभिस्वीकृति या कोई अन्य रसीद, जिसे विरोधी पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा या परिवादी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना तात्पर्तित है, जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, द्वारा प्राप्त की जाती है या नोटिस को अन्तर्विष्ट करने वाली कोई डाक सामग्री ऐसे जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा इस पृष्ठांकन के साथ, जो डाक कर्मचारी द्वारा या कोरियर सेवा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया तात्पर्यित है, वापस प्राप्त की जाती है, जो इस प्रभाव की है कि विरोधी पक्षकार या उसके अभिकर्ता या परिवादी ने नोटिस में अन्तर्विष्ट डाक सामग्री के परिदान को ग्रहण करने से इंकार किया है या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी अन्य ढंग द्वारा नोटिस को स्वीकार करने से तब इंकार कर दिया है, जब उसके द्वारा प्रदान या प्रेषित की गयी थी, तब जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, घोषणा करेगा कि नोटिस सम्यक् रूप से विरोधी पक्षकार पर तामील की गयी है :

परन्तु जहाँ नोटिस समुचित रूप से सम्बोधित है, पूर्व संदत्त है और सम्यक् अभिस्वीकृति के साथ पंजीकृत डाक द्वारा सम्यक् रूप से भेजी गयी है, वहाँ इस उपधारा में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जायेगी कि अभिस्वीकृति खो गयी है या गलत स्थान पर रख दी गयी है या किसी अन्य कारण से नोटिस के निर्गम की तारीख से तीस दिनों के भीतर, जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, द्वारा प्राप्त नहीं की गयी है।

---

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 25 द्वारा अंत:स्थापित।

भीतर अपील दाखिल न करने के

- इस अधिनियम के अधीन या
धीन जिलापीठ, राज्य आयोग या
न के लिए या सद्भावनापूर्वक की
: कोई वाद, अभियोजन या अन्य
ाय आयोग के किसी सदस्य या
ोन कार्यरत किसी अधिकारी या

इस अधिनियम द्वारा तामील किए
पश्चात् वर्णित ढंग में की जायेगी।
परिवाद किया जाता है या परिवादी
ाथ, द्रुतगामी डाक द्वारा या ऐसी
राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, द्वारा
ा अन्य ढंग द्वारा (जिसमें फैक्स
के या प्रेषित करके की जाती है।
क्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा
जिला फोरम, राज्य आयोग या
नोटिस को अन्तर्विष्ट करने वाली
ष्ट्रीय आयोग द्वारा इस पृष्ठांकन
ाधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया
ाव की है कि विरोधी पक्षकार या
ाक सामग्री के परिदान को ग्रहण
किसी अन्य ढंग द्वारा नोटिस को
प्रदान या प्रेषित की गयी थी, तब
स्थिति, घोषणा करेगा कि नोटिस

त्त है और सम्यक् अभिस्वीकृति
है, वहाँ इस उपधारा में निर्दिष्ट
ति खो गयी है या गलत स्थान पर
ो तारीख से तीस दिनों के भीतर,
ते, द्वारा प्राप्त नहीं की गयी है।

(4) विपक्षी पक्षकार या परिवादी पर तामील किए जाने के लिए सभी नोटिस, यदि पता युक्त है, विपक्षी पक्षकार के मामले में उस स्थान पर, जहाँ कारबार या व्यवसाय किया जाता है और परिवादी के मामले में उस स्थान पर, जहाँ ऐसा व्यक्ति वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, पर्याप्त रूप से तामील की गयी मानी जायेगी।)

29. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति** - (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों कर सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों;

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

[1](3) यदि उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा आदेश की कठिनाई के निवारण के प्रयोजन के लिए कोई ऐसी चीज कर सकेगी, जो ऐसे प्रावधानों से असंगत न हो :

परन्तु कोई ऐसा आदेश उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के पर्यवसान के बाद नहीं किया जायेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

[2]29-क. **रिक्तियां या नियुक्ति की त्रुटियां आदेशों को अविधिमान्य नहीं बनाएंगे** - जिलापीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का कोई कृत्य का कार्यवाही मात्र उसके सदस्यों में कोई रिक्ति विद्यमान होने या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण ही अविधिमान्य न होगी।

[3]30. **नियम बनाने की शक्ति** - (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क), धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख), धारा 5 की उपधारा (2), धारा 12 की उपधारा (2), धारा 13 की उपधारा (4) के खण्ड (vi), धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (जख), धारा 19, धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2), धारा 22 और धारा 23 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

---

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित।
2. 1991 के अधिनियम संख्या 34 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित।
3. 2003 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 27 द्वारा अंत:स्थापित।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और उपधारा (4), धारा 8-क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और उपधारा (4), धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (3), धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ग), धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (जख) और उपधारा (3), धारा 15 और धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) तथा उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।)

[1]30-क. **विनियम बनाने की राष्ट्रीय आयोग की शक्ति** - (1) राष्ट्रीय आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सभी मामलों के लिए, जिनके लिए प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हैं, उपबन्ध करने के लिए अधिसूचना द्वारा ऐसा विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम से असंगत न हो।

(2) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा विनियम जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थिति, के समक्ष किसी कार्यवाही के स्थगन के व्यय के लिए प्रावधान कर सकेगा, जिसे पक्षकार को भुगतान करने का आदेश दिया जा सकेगा।)

31. **नियमों और विनियमों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा** - (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या उससे अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जायें, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जायेगा, जैसी भी स्थिति हो, किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उस नियम या विनियम के अधीन पहले से की गयी किसी चीज की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

•••

---

1. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 4 द्वारा 15.3.2003 से प्रतिस्थापित।
2. 2002 के अधिनियम संख्या 62 की धारा 29 द्वारा अंत:स्थापित।